बिहार सरकार
मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय
<u>सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना</u>

पत्रांक : मु.जाँ.आ.नि.(प्रशि.) : 01/2025 : 671 दिनांक : 07.4.2026

प्रेषक,
प्रभात कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,
प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ई–मेल

विषय : बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अंतर्गत जाँच संचालन पदाधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों के संबंध में प्रशिक्षण सत्र के आयोजन हेतु Minute-to-Minute कार्यक्रम।

प्रसंग : मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक 670, दिनांक 07.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र के गठन से लेकर आदेश पारित किये जाने तक अनुशासिनक कार्रवाई संचालित किये जाने के विभिन्न चरणों से संबंधित उन्मुखीकरण एवं विचार मंथन हेतु दिनांक 03.12.2025 को एक सत्र का आयोजन किया गया था। उक्त सत्र के आयोजन के उपरांत यह आवश्यकता महसूस की गयी कि सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप–पत्र के गठन से लेकर आदेश पारित किये जाने के विभिन्न चरणों के संबंध में एक विस्तृत प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाय।

उक्त बैठक हेतु विभाग में आरोप/निगरानी/विभागीय कार्यवाही से संबंधित प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, संबंधित कनीय प्रभार एवं वरीय प्रभार के नोडल पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु **दिनांक 09.04.2026 को प्रातः 9:30 बजे से दशरथ माँझी, श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (सेमिनार हॉल संख्या–03) भेटनरी कॉलेज, पटना** में किया गया है। उक्त प्रशिक्षण सत्र के लिये Minute-to-Minute कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	09:30AM तक	– सभी पदाधिकारियों का आगमन
2.	09:30 to 10:00 AM तक	– सभी पदाधिकारियों का आगमन प्रतिवेदन
3.	10:10AM	– महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त का उद्‌बोधन
4.	10:20AM	– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का उद्‌बोधन
5.	10:30 to 12:00AM तक	– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथासंशोधित) के नियम–17 के अंतर्गत आरोप–पत्र का गठन एवं विभागीय जाँच से संबंधित संचालन पदाधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों का प्रशिक्षण–**श्री सतीश कुमार तिवारी**, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
6.	12:01PM to 01:30PM तक	– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथासंशोधित) के नियम–18 के तहत तत्संबंधित विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित अंतिम आदेश से

			संबंधित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण –**श्री शालीग्राम पाण्डेय**, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
7.	01:30 to 02:00PM तक	–	प्रश्नोत्तर सत्र
8.	02:00PM	–	समारोह का समापन
9.	02:10PM	–	इन्स्टीच्यूट परिसर में लंच

अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं के साथ विभागीय जाँच संचालन से जुड़े जाँच संचालन पदाधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों की **ससमय** भागीदारी सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
07.4.26
(प्रभात कुमार)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–सं0स0(प्र0)को0(वि0/नोडल)–01–03/2025 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा 01, 02, 22, 23 एवं 24) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशानुसार निदेश है कि मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 09.04.2026 को प्रातः 09.30 बजे से दशरथ माँझी, श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (सेमिनार हॉल संख्या 03) भेटनरी कॉलेज, पटना में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्र0)–सह–
नोडल पदाधिकारी

ज्ञापांक–सं0स0(प्र0)को0(वि0/नोडल)–01–03/2025 04 **/ पटना, दिनांक–** 08/4/26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/4/26
संयुक्त सचिव (प्र0)–सह–
नोडल पदाधिकारी